झारखंड उच्च न्यायालय रांची

सिविल रिट याचिका सं. **1732/2014**

श्रीमती बिंदेश्वरी मिश्रा

याचिकाकर्ता

बनाम

1. महानिदेशक, सीआरपीएफ, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ
2. महानिदेशक, सीआरपीएफ, नई दिल्ली
3. महानिरीक्षक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सीआरपीएफ, शिलांग, मेघालय
4. उप महानिरीक्षक, समूह केंद्र, सीआरपीएफ, गुवाहाटी, मेघालय
5. कमांडेंट, 53 बटालियन, बीएन, सीआरपीएफ, बारामूला (जे एंड के), सी/ओ 56, बारामूला, जम्मू और कश्मीर
6. उप निदेशक (लेखा), केंद्रीय पेंशन, लेखा अधिकारी, नई दिल्ली

विरोधी पक्ष

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति डॉ. एस. एन. पाठक

याचिकाकर्ता के लिए: मेसर्स रितु कुमार, प्रवीण शंकर दयाल, समवेश भंज देव, सतक्षी, अधिवक्तागण

विरोधी पक्ष के लिए: श्री प्रभात कुमार सिन्हा, वरिष्ठ पी.सी.

श्री दिवाकर झा, अधिवक्ता

15/08.01.2024 : दोनों पक्षों को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता दिनांकित 17.11.2011 आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा विरोधी पक्ष ने उदारीकृत पेंशन पुरस्कार (संक्षिप्त 'एल.पी.ए.' के लिए) देने से इनकार कर दिया है, हालांकि वह इसके लिए हकदार थी।

3. याचिकाकर्ता का मामला एक संकीर्ण दिशा में है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने, एल.पी.ए. की उनकी पात्रता के संबंध में, रिट याचिका (एस) 1363/2003 में इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने उचित विचार के बाद प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार अनुमत पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया। लेकिन चूंकि इस पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को एल.पी.ए. के भुगतान के संबंध में अपने दावे को एक बार फिर दोहराते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वत वकील श्री समवेश भंज देव, जो विवादित आदेश का आरोप लगाते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि तत्काल रिट याचिका में शामिल मुद्दा अब एकीकृत नहीं है क्योंकि यह रिट याचिका. (एस) 1363/2003 में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया और न्यायालय के अवलोकन का एल.पी.ए. सं. 383/2009 में इस माननीय न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष परीक्षण किया गया और दिनांक 22.02.2010 के आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की गई। विद्वान वकील जोर देकर तर्क देते हैं कि प्रतिवादी न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए बाध्य थे और उसके बाद, एल.पी.ए. देने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाता। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि इसके बावजूद, इस न्यायालय के अवलोकन की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, प्रत्यर्थियों ने विवादित आदेश पारित किया है और उसके बाद, इसे रद्द करने के बाद, प्रत्यर्थियों को उदारीकृत पेंशन पुरस्कार (एल.पी.ए.) देने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश दिया जाए।

5. इसके विपरीत, जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील के तर्क का जोरदार विरोध करते हुए प्रतिवादी भारत संघ की ओर से पेश विद्वान वकील श्री. प्रभात कुमार सिन्हा प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि रिट कोर्ट द्वारा पहले सब कुछ चर्चा की गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश के अवलोकन की पुष्टि इस माननीय अदालत की खंड पीठ द्वारा की गई थी। तार्किक अनुक्रम में कोई विवाद नहीं है, लेकिन चर्चा से ही यह प्रतीत होता है कि इस न्यायालय का एक निर्देश था कि वह याचिकाकर्ता के मामले पर कानून के अनुसार पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए विचार करे। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि

चूंकि नियम याचिकाकर्ता को एल.पी.ए. देने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए उसके मामले पर विचार नहीं किया गया और खारिज कर दिया गया। विवादित आदेश को उचित ठहराते हुए, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश में कोई अवैधता या कोई कमजोरी नहीं है और, याचिकाकर्ता के मामले को एल.पी.ए. के अनुदान के लिए खारिज किया जाना सही है। विद्वान वकील आगे तर्क देते हैं कि हालांकि एल. पी. ए. के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता का मामला खारिज कर दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर, उसे पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया गया है और उसे अभी भी वही मिल रहा है।

6. प्रतिवादी पक्षों के अधिवक्ताओं की प्रतिकूल प्रस्तुतियों से यह स्पष्ट होता है कि केवल यह मुद्दा तय करना है कि क्या याचिकाकर्ता को LPA का अधिकार है या नहीं।

7. सही है, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा कहा गया है कि यह मुद्दा अब अनिर्णीत विषय नहीं है। 19.12.2008 की आदेश से, इसे उत्तरदाताओं द्वारा विचार नहीं किया गया है और यह व्याख्या नहीं की गई है कि क्या एलपीए उस कर्मचारी के मामले में स्वीकार्य है जो सशस्त्र बल का व्यक्ति नहीं है। उक्त आदेश का प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

4. सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को लाभ - श्रेणियाँ 'डी' और 'ई ' के अंतर्गत परिवार पेंशन

(1) यदि सरकारी कर्मचारी के पीछे उसकी विधवा जीवित है, तो उसे मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अंतिम बार प्राप्त वेतन के बराबर परिवार पेंशन का हक होगा। यह परिवार पेंशन उसे जीवनभर या उसकी पुनर्विवाह तक दी जाएगी।

(2) यदि विधवा पुनर्विवाह करती है, तो उसे परिवार पेंशन के लिए निर्धारित दरों पर और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन परिवार पेंशन दी जाएगी, जो उसके पुनर्विवाह की तिथि के बाद से लागू होगी।

(3) यदि सरकारी कर्मचारी के पीछे विधवा जीवित नहीं है, लेकिन केवल बच्चे/बच्चियाँ जीवित हैं, तो सभी बच्चे मिलकर निम्नलिखित दरों पर परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे:-

सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन मृत्यु की तिथि पर	*मासिक परिवार पेंशन*
(i) रु. 1,500 तक	*मूल वेतन का 50%*
(ii) रु. 1,500 से अधिक लेकिन रु. 3,000 तक	*मूल वेतन का 40% न्यूनतम रु. 750/- के अधीन*

(iii) रु. 3,000 से अधिक ..... *मूल वेतन का 30% न्यूनतम रु. 1,200/-और अधिकतम रु. 2,500/- के अधीन*

8. उत्तरदाताओं के लिए शिक्षित वकील ने पहले इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि प्रावधानों को लागू करने की आधारभूत आवश्यकता यह है कि व्यक्ति एक नागरिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होना चाहिए और इसका दायरा केवल उन नागरिक सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, जो ड्यूटी के दौरान मारे जाते हैं या विकलांग होते हैं। इसलिए, यह याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होगा, केवल इस कारण से कि वह सी.आर.पी.एफ. में एक सशस्त्र बल का व्यक्ति था। उक्त तर्क उत्तरदाता के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे विचार में लिया गया और न्यायालय ने अवलोकन किया कि "मैंने नियम 4 का अवलोकन किया है, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को लाभ प्रदान करता है, जो एक सामान्य और समावेशी प्रावधान है और इसमें निश्चित रूप से एक सरकारी कर्मचारी का मामला शामिल होगा, जो परिवार पेंशन का हकदार होगा, यदि सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है"।

9. न्यायालय इस बात से पूरी तरह से अवगत है कि याचिकाकर्ता सशस्त्र बल का कर्मी नहीं है और उसके बाद आदेश पारित किया गया। खंडपीठ द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी और इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी और इस प्रकार, रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश को अंतिम रूप दिया गया था।

10. उपरोक्त टिप्पणियों, नियमों, दिशानिर्देशों और कानूनी प्रस्तावों के अनुक्रम के रूप में, 17.11.2011 दिनांकित विवादित आदेश कानून की नजर में मान्य नहीं है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। विवादित आदेश को रद्द करने के रूप में, मैं उत्तरदाताओं को उदारीकृत पेंशन पुरस्कार (एल.पी.ए.) देने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देता हूं। चूँकि विधवा ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए प्रतिवादी इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपने मामले पर शीघ्रता से विचार करेंगे।

11. परिणामस्वरूप, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

(न्यायमूर्ति डॉ. एस. एन. पाठक)

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|